



Neutral Citation No. - 2026:AHC:3459

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 25052 वर्ष 2025

मोहम्मद स्वलेह

...आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: मयंक भूषण नाथ त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 68

माननीय न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव

आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मयंक भूषण नाथ त्रिपाठी और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान एजीए श्री अरिमर्दन यादव की दलीलें सुनीं और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।

यह आवेदक द्वारा दायर की गई दूसरी जमानत याचिका है। वर्तमान आवेदक द्वारा दायर की गई

पहली जमानत याचिका को इस न्यायालय ने दिनांक 2.5.2025 को आपराधिक विविध जमानत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



याचिका संख्या 8818/2025 में पारित विस्तृत आदेश द्वारा खारिज कर दिया था, जिसकी एक प्रति जमानत याचिका के अनुलग्नक-1 के रूप में रिकॉर्ड पर लाई गई है।

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह दूसरी जमानत याचिका आरोपी-आवेदक मोहम्मद स्वलेह की ओर से दायर की गई है, जिसमें मुकदमा अपराध संख्या 162/2024 में भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318 (4), 338, 336 (3), 340 (2) और आयकर अधिनियम की धारा 66डी के तहत मामले में अवर न्यायालय के समक्ष मुकदमे की सुनवाई के दौरान जमानत पर रिहा करने की मांग की गई है।

इस दूसरी जमानत याचिका के समर्थन में, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने पहली जमानत याचिका में दिए गए सभी तर्कों को दोहराया है,

उपरोक्त के अलावा, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आरोपी-आवेदक निर्दोष है। उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है और वह 28.12.2024 से जेल में बंद है। आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी मोहम्मद जावेद अख्तर को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **आपराधिक अपील संख्या शून्य, वर्ष 2025 (एसएलपी (क्रिमिनल अपील) संख्या 16650, वर्ष 2025 से उत्पन्न)** में दिनांक 13.11.2025 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि इस मामले में आरोपपत्र पहले ही 21.7.2025 को दाखिल किया जा चुका है। उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और जमानत पर रिहा होने की स्थिति में उनके न्याय प्रक्रिया से भागने या साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने की कोई संभावना नहीं है। इसलिए, जमानत की प्रार्थना की गई है।

विद्वान अटॉर्नी जनरल ने जमानत की अर्जी का पुरजोर विरोध किया है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपरोक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों, आरोपों की प्रकृति, दोषसिद्धि की स्थिति में सजा की गंभीरता और सहायक साक्ष्यों की प्रकृति, गवाह के साथ छेड़छाड़ की उचित आशंका और प्रथम दृष्टया मामले को ध्यान में रखते हुए, लेकिन मामले की योग्यता पर टिप्पणी किए बिना, जमानत का मामला बनता है।

अतः, जमानत याचिका **स्वीकार** की जाती है।

उपरोक्त मामले में आरोपी-आवेदक **मोहम्मद स्वलेह** को, मुकदमा अपराध संख्या के संबंध में, जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह व्यक्तिगत मुचलका प्रस्तुत करे और दो विश्वसनीय जमानतदारों को भी इतनी ही राशि का मुचलका प्रस्तुत करे, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हो, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:

1. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
2. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।
3. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा और मुकदमे में सहयोग करेगा।
4. आवेदक मुकदमे की सुनवाई के लिए निर्धारित प्रत्येक तिथि पर नियमित रूप से उपस्थित होगा जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा अधिवक्ता के माध्यम से उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी जाए।

उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने की स्थिति में, अवर न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगी।

7 जनवरी, 2026

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



रवि प्रकाश.

(न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव)

Translated version. Not for legal use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।